प्रेस नोट
दिनांक – 10.11.2025
यातायात माह नवम्बर, जनपद गोण्डा

"यातायात माह नवंबर-2025” के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को किया गया यातायात नियमों के प्रति जागरूक-

आज दिनांक 10.11.2025 को “यातायात माह नवंबर-2025” के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए । इसी क्रम में आज प्रभारी यातायात श्री जगदम्बा गुप्ता, टी0एस0आई0 श्री राकेश कुमार, आरक्षी योगेश कुमार, होमगार्ड दिनेश चंद पाण्डेय, काशीराम एवं पी0आर0डी0 राजकुमार द्वारा शहीद-ए-आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज, गोण्डा में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों को हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने, सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, गति सीमा का पालन करने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही उपस्थित छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों से संबंधित पम्पलेट वितरित किए गए एवं उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में यातायात अनुशासन का पालन करने की शपथ दिलाई गई।

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा यातायात माह के दौरान इसी प्रकार जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग करने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 10.11.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 10.11.2025
जनपद – गोण्डा

गोरखपुर जोन की 25वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता-2025 का भव्य समापन-

गोरखपुर की टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता बनी-

गोण्डा। आज दिनांक 10 नवम्बर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन्स गोण्डा के क्रिकेट ग्राउण्ड पर आयोजित "25वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता (गोरखपुर जोन) - 2025" का सफलतापूर्वक समापन हुआ । दिनांक 06 नवम्बर से प्रारम्भ हुई इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के कुल 10 जनपदों की पुलिस टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पुल ए में – गोण्डा, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती, तथा पुल बी में – गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर एवं बहराइच की टीमें सम्मिलित रहीं। समापन दिवस पर आयोजित फाइनल मुकाबला गोण्डा पुलिस टीम और गोरखपुर पुलिस टीम के मध्य खेला गया। गोण्डा पुलिस टीम के कप्तान अरविन्द राय ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 204 रनों का लक्ष्य गोरखपुर टीम के सामने रखा। जवाब में गोरखपुर पुलिस टीम ने दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 19.4 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज करते हुए गोरखपुर जोन क्रिकेट प्रतियोगिता – 2025 की विजेता बनी। गोरखपुर टीम की ओर से आरक्षी दीपक यादव ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 102 रन बनाकर अपनी टीम को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई, शतकीय पारी खेलने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जबकि गोण्डा पुलिस टीम उपविजेता रही। मैच के उपरांत समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सभी खिलाड़ियों को उनकी खेल भावना, अनुशासन एवं टीमवर्क के लिए बधाई दी गई। टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन गोरखपुर टीम के आरक्षी दीपक यादव, बेस्ट बॉलर देवरिया टीम के हे0कां0 रामू प्रसाद, बेस्ट फील्डर गोरखपुर के आरक्षी अंकित सिंह, बेस्ट कीपर गोण्डा के आरक्षी भोला भागीरथी को चुना गया तथा पूरे टूर्नामेन्ट के दौरान दो शतकीय पारी खेलने वाले गोरखपुर के आरक्षी दीपक यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि "खेल से न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति प्राप्त होती है, बल्कि यह टीम वर्क, संयम और प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। पुलिस बल में खेलकूद से आपसी सौहार्द एवं एकता और मजबूत होती है।" उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 10 टीमों को शुभकामनाएं दीं तथा खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गोरखपुर पुलिस टीम को विजेता ट्रॉफी तथा गोण्डा पुलिस को उपविजेता ट्रॉफी व दोनो टीम के खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सम्मानित किया गया । कार्यक्रम के सफल संचालन में पुलिस लाइन स्टाफ एवं आयोजन समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता के दौरान कमेंट्री का संचालन अजय कुमार पाण्डेय एवं आनन्द कुंवर भट्ट द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने उत्साहपूर्ण अंदाज़ से खिलाड़ियों एवं दर्शकों का मनोबल बढ़ाया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह तथा पुलिस लाइन के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 10.11.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से 02 हत्याभियुक्तों में से एक अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 20,000/- अर्थदण्ड एवं दूसरे अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.12.2017 को वादी नकछेद गुप्ता पुत्र श्री बद्री प्रसाद गुप्ता नि0 धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में सूचना दी गई कि उसने अपनी पुत्री अनीता की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व परमेश्वर पुत्र जवाहर गुप्ता नि0 किन्धौरा थाना तरबगंज के साथ की थी। अवैध संबंधों के कारण विवाद को लेकर दिनांक 05.12.17 को उसके पति परमेश्वर गुप्ता पुत्र जवाहर, जवाहर गुप्ता व सुनीता यादव पत्नी लोधे ने अनीता को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वादी नकछेद की लिखित तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त परमेश्वर व सुनीता को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 07.03.2018 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में अभियोग में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना तरबगंज के पैरोकार हे0कां0 सोनू कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त परमेश्वर गुप्ता पुत्र जवाहर गुप्ता को 07 वर्ष कारावास व 20,000/- अर्थदण्ड एवं सुनीता यादव पत्नी लोधे यादव को 05 वर्ष कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. परमेश्वर गुप्ता पुत्र जवाहर गुप्ता
02. सुनीता यादव पत्नी लोधे यादव नि0गण ग्राम किन्धौरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-537/2017, धारा 302,34 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा